न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कुचामनसिटी जिला नागौर (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी :– श्री मनोज (RAS)
राजस्व वाद संख्या :– 80/2016 **RCMS 2016/00129**

वादी

1. भंवरलाल पुत्र गंगाराम जाति कुमावत उम्र 49 वर्ष निवासी आनन्दपुरा रोड़ कुचामनसिटी तहसील कुचामनसिटी जिला नागौर राजस्थान

बनाम

प्रतिवादीगण

1. श्योरती देवी पत्नि गंगाराम जाति कुमावत निवासी आनन्दपुरा रोड़, कुचामनसिटी
2. मदनी देवी पुत्री गंगाराम जाति कुमावत निवासी आनन्दपुरा रोड़, कुचामनसिटी
3. रूपाराम पुत्र बालूराम जति कुम्हार निवासी आनन्दपुरा तहसील कुचामनसिटी
4. मोहनराम पुत्र बालूराम जाति कुम्हार निवासी आनन्दपुरा तहसील कुचामनसिटी
5. उप पंजियक कुचामनसिटी
6. राजस्थान सरकार जरिये प्रतिनिधि तहसीलदार कुचामनसिटी

दावा– खातेदारी अधिकारो की घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा बाबत अन्तर्गत धारा 88, 188 R. T. Act1955

उपस्थित :–श्री राजेश गुजर एवं मोहनसिंह अधिवक्ता वादी की ओर से।
श्री अशोकपुरी अधिवक्ता प्रतिवादी सं. 3 एवं 4 की ओर से।

निर्णय

दिनॉक :– 31/8/2023

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद का सार संक्षेप में इस प्रकार से है कि कस्बा कुचामनसिटी जिला नगौर की सरहद में गत खसरा नम्बर 311 रकबा 14 बीघा स्थित चली आ रही थी जिसका नवीन भू–प्रबन्ध कार्यवाही के दौरान नवीन खसरा नम्बर 1100 रकबा 1.61 हैक्टर व खसरा नम्बर 1113 रकबा 0.65 हैक्टर कायम हुए है, गत खसरा नम्बर 311 रकबा 14 बीघा भूमि मे से भोलू पुत्र रूगनाथ कौम कुम्हार 5 बीघा व बालू पुत्र नानू कौम कुम्हार 9 बीघा 2 बिस्वा साकिन देह खातेदार दर्ज चले आ रहे थे, जिसके नवीन खसरा नम्बर 1100 रकबा 1.61 हैक्टर व खसरा नम्बर 1113 रकबा 0.65 हैक्टर भोलूराम के वारिसानो के नाम खातेदारी दर्ज चली आ रही है, उपरोक्त गत खसरा नम्बर 311 की भूमि में से तत्कालीन खातेदार बालूराम पुत्र नानू ने अपने हिस्से में से जरिये विक्रय पत्र संख्या 350 पेज नं. 377–78 बुक संख्या 20 दिनॉक 18.08.1970 के द्वारा 5 बीघा अर्थात 0.80 हैक्टर भूमि वादी के पिताजी गंगाराम पुत्र भोलूराम को बेचान की गई थी जिसका जमाबंदी में अंकन होने से छूट गया है। गत खसरा नम्बर के तत्कालीन खातेदार बालूराम का स्वर्गवास हो जाने पर उनके [illegible] नवीन खसरा नम्बर 1100 की भूमि उनके उत्तराधिकारी पुत्र प्रतिवादी सं. 3 व 4 के नाम खातेदारी दर्ज हो गई व तत्कालीन खातेदार से 5 बीघा खरीददार गंगाराम का स्वर्गवास हो जाने पर उनके स्थान पर उनके जाईन्दा उत्तराधिकारी वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 व 2 काबिज खातेदार है जबकि खातेदारी अकेले प्रतिवादी सं. 1 व 2 के नाम दर्ज हो गई जबकि उक्त भूमि में से

Signature Not Verified
Digitally signed by Manoj
Date: 2023.11.03 13:43:28 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (नागौर)

0.80 हैक्टर भूमि अर्थात 5 बीघा भूमि जो जरिए विक्रय पत्र खरीदशुदा भूमि है उसकी दर्ज खातेदारी खसरा नम्बर 1100 रकबा 1.61 हैक्टर में से 0.80 हैक्टर भूमि वादी के नाम खातेदारी में दर्ज होनी चाहिए थी जो कि खरीदशुदा भूमि चली आ रही है, उपरोक्त भूमि में से खसरा नम्बर 1100 रकबा 1.61 हैक्टर में से 0.80 हैक्टर भूमि की खातेदारी वादी अपने नाम दर्ज कराने का अधिकारी है, उसने अपनी खरीदशुदा भूमि की खातेदारी दर्ज करने बाबत पटवारी हल्का को कहा तो उन्होने प्रतिवादीगण की सहमति चाही, प्रतिवादी सं. 3 व 4 को कहा तो उन्होने साफ इंकार कर दिया कि उक्त भूमि में से कुछ भी दर्ज नही करायेंगे एवं अन्यत्र बेचान कर देंगे ऐसी धमकी दी गई, जबकि उनको वादी की 0.80 हैक्टर भूमि को बेचान करने का कोई हक अधिकार प्राप्त नही है, अगर ऐसा करने में वे सफल हो गये तो वादी को अपूर्तनीय क्षति व आर्थिक नुकसान होगा, इसलिए वादी को अपने अधिकारो की घोषणा व अपने हितो की सुरक्षार्थ स्थाई निषेधाज्ञा का वाद लाना आवश्यक हुआ। बिनाय दावा दिनॉक 29.8.2016 को पटवारी हल्का से नकल प्राप्त की तो जानकारी हुई कि उक्त भूमि में वादी का व वादी के पिताजी का कही नाम ही दर्ज नही है, पटवारी हल्का को कहा तो इंकार कर देने पर बमुकाम कुचमनसिटी पैदा हुआ है जो न्यायालय हाजा के क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार में है, वादी की इस्तदुआ है कि ग्राम कुचामनसिटी की सरहद में स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 1100 रकबा 1.61 हैक्टर में से 0.80 हैक्टर का वादी काबिज खातेदार कृषक है इस आशय की खातेदारी अधिकारों की घोषणा बहक वादी विरूद्व प्रतिवादीगण सादिर फरमाई जावें व 0.80 हैक्टर भूमि में प्रतिवादीगण का नाम हटाया जावें, खसरा नम्बर 1100 रकबा 1.61 हैक्टर में से 0.80 हैक्टर भूमि का प्रतिवादीगण किसी प्रकार का बेचान हस्तानान्तरण इत्यादि नही करें न ही किसी प्रकार का दखल इत्यादि करे इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री सादिर फरमाई जावें।

वाद वादी दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी सं. 1, 2, 5, 6 के सम्मन तामिल होने के बावजूद अनुपस्थित रहे, जिससे उनके विरूद्व एक–पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई, प्रतिवादी सं. 3, 4 की ओर से उनके अधिवक्ता उपस्थित। जिन्हे जवाब का पर्याप्त अवसर दिये जाने के बावजूद जवाब प्रस्तुत नही करने से उनका जवाब अवसर बन्द किया गया।

वादी की ओर से दस्तावेजी साक्ष्य में नकल फोटो स्टेट वारिस प्रमाण–पत्र की प्रति, गंगाराम के मृत्यु प्रमाण–पत्र की छाया प्रति, मिलान क्षेत्रफल की नकल, विक्रय पत्र 18.08.1970 की मूल प्रति, जमाबंदी नकल सम्वत 2030–2033, 2033–2036, 2037–2040, 2070–2073, 2074–2077 की प्रस्तुत की है। मौखिक साक्ष्य में वादी भंवरलाल गवाह ओमप्रकाश एवं दिनेश के शपथ–पत्र प्रस्तुत हुये।

उभय पक्षकारान अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई। वकील वादी ने वाद पत्र में अकित तथ्यों को दोहराया है। प्रतिवादी ने जवाब अवसर बन्द होने से किसी प्रकार की बहस नही की। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात इत्यादि का अवलोकन किया

Signature Not Verified
Digitally signed by Manoj
Date: 2023.11.03 13:03:28 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (नागौर)

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

गया। नकल खतौनी सम्वत 2030–2033 ग्राम कुचामनसिटी के खसरा नम्बर 311 रकबा 14 बीघा 2 बिस्वा बारानी द्वितीय में भोलू पुत्र रूगनाथ कौम कुम्हार सा. उगरपुरा खातेदार दर्ज है तथा सम्तव 2033–2036 में भोलू पुत्र रूगनाथ कौम कुम्हार 5 बीघा बालू पुत्र नानू 9 बीघा 2 बिस्वा सा. देह खातेदार दर्ज है। नकल खतौनी सम्वत 2037–2040 में भोलू पुत्र रूगनाथ कौम कुम्हार 5 बीघा बालू पुत्र नानू 9 बीघा 2 बिस्वा सा. देह खातेदार दर्ज है। मिलान क्षेत्रफल अनुसार गत खसरा नम्बर 311 के नये खसरा नम्बर 1100 रकबा 1.61 हैक्टर खसरा नम्बर 1113 रकबा 0.65 हैक्टर अंकित हुए है। जमाबंदी नकल सम्वत 2070–2073 ग्राम कुचामन के खसरा नम्बर 1113 रकबा 0.65 हैक्टर में भंवरलाल पुत्र गंगाराम 1/4 भुवानाराम 1/4 मांगीलाल 1/4 पि. भोलूराम ग्यारसीदेवी पत्नि लालचन्द भीवाराम रामकुमार पि. लालचन्द 1/4 कुम्हार सा. देह खातेदार, नामा.सं. 4449 नि. दि 04.09.2013 विभाजन से खाते का इन्द्राज हुआ :7 भंवरलाल पुत्र गंगाराम जाति कुम्हार खसरा नम्बर 1113 रकबा 0.1625 हैक्टर, मांगीलाल पुत्र भोलूराम जाति कुम्हार सा. देह खातेदार खसरा नम्बर 3334/1113 रकबा 0.1625 हैक्टर, भुवानाराम पुत्र भोलूराम जाति कुम्हार सा. देह खातेदार खसरा नम्बर 3335/1113 रकबा 0.1625 हैक्टर, ग्यारसीदेवी पत्नि लालचन्द भींवाराम रामकुमार पि. लालचन्द जाति कुम्हार सा. देह खातेदार खसरा नम्बर 3336/1113 रकबा 0.1625 हैक्टर दर्ज है। नकल सम्वत 2070–2073 ग्राम कुचामनसिटी के खसरा नम्बर 1100 रकबा 1.61 हैक्टर खसरा नम्बर 1102 रकबा 1.71 हैक्टर खसरा नम्बर 1103 रकबा 0.07 हैक्टर कुल रकबा 3.39 हैक्टर में रूपाराम मोहनराम पि. बालूराम जाति कुम्हार सा. देह खातेदार ना.स.4119 दर्ज है। नकल खतौनी सम्वत 2074–2077 ग्राम कुचामनसिटी के खसरा नम्बर 1100 रकबा 1.61 हैक्टर में अमान खॉ पुत्र याकूब खॉ हिस्सा 971/8050 जाति कायमखानी सा. देह खातेदार, मोहनराम पुत्र बालूराम हिस्सा 7079/16100 जाति कुम्हार सा. देह खातेदार, रूपाराम पुत्र बालूराम हिस्सा 7079/16100 जाति कुम्हार सा. देह खातेदार दर्ज है। बेचाननामा खातेदारी अधिकार दिनॉक 18.08.1970 की प्रति अनुसार बालू पुत्र नानू कुम्हार सा. उगरपुरा द्वारा खसरा नम्बर 311 रकबा 14 बीघा वाके कांकड़ कुचामन में से 5 बीघा का बेचान भाई गंगाराम पुत्र भोलूराम कुम्हार सा. कुचामन को बिल एवज रूपये 500/– में किया गया है, जिसका पंजियन उप पंजियक नावां के यहॉ दस्तावेज 20.07.1970 को प्रस्तुत होकर दिनॉक 18.08.1970 को रजिस्ट्रेशन नं. 370 पेज संख्या 377–378 पर पंजिबद्व हुआ है। प्रस्तुत मौखिक साक्ष्य अनुसार उपरोक्त खसरा नम्बर 1100 में से 0.80 हैक्टर पर वादी का कब्जा काश्त चला आना बताया है। उपरोक्त भूमि गत खसरा नम्बर 311 रकबा 14 बीघा 2 बिस्वा में जरिये पंजिबद्व बेचान दस्तावेज से वादी के पिता गंगाराम पुत्र भोलूराम द्वारा क्रय किया जाना साबित है। उपलब्ध रेकार्ड एवं [illegible] दस्तावेजात से बालू पुत्र नानू द्वारा 20.07.1970 को बेचान किया गया है उपरोक्त राजस्व [illegible] में अमल दरामद होना शेष है तथा प्रतिवादी 3 व 4 द्वारा किसी प्रकार का जवाब आदि प्रस्तुत नही करना इस बात की तस्दीक करता है कि उनके पिता बालू द्वारा भूमि [illegible] बेचान वादी के पिता गंगाराम को

Signature Not Verified
Digitally signed by Manoj
Date: 2023.11.03 13:03:28 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (नागौर)

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

किया गया है तथा मौके पर कब्जा काश्त भी वादी का ही होना साबित होता है। उपरोक्त भूमि में वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 एवं 2 खसरा नम्बर 1100 में से 0.80 हैक्टर की खातेदारी पाने के अधिकारी है। इस प्रकार उपरोक्त सम्पूर्ण विवेचन से स्पष्ट है कि वाद वादी मुताबिक काबिल डिक्री योग्य पाये जाने से डिक्री किया जाता है।

आदेश

अतः वाद वादी डिक्री कर घोषणा की जाती है कि ग्राम कुचामनसिटी तहसील कुचामनसिटी जिला नागौर के खसरा नम्बर 1100 रकबा 1.61 हैक्टर में से 0.80 हैक्टर का वादी भवंरलाल पुत्र गंगाराम, प्रतिवादी श्योरतीदेवी पत्नि गंगाराम, प्रतिवादी मदनीदेवी पुत्री गंगाराम कुम्हार कुचामनसिटी को बहिस्सा बराबर खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है, उक्त रकबा 0.80 हैक्टर प्रतिवादी सं. 3 व 4 के हिस्से में से कम किया जावें। शेष खाता बदस्तूर रहेगा। उपरोक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किये जाने हेतु तहसीलदार कुचामनसिटी को तहरीर जारी हो। डिक्री पर्चा भरा जाकर शामिल मिसल किया जावें।

निर्णय आज दिनॉक 31-8-2023 को सरे इजलास सुनाया गया।

(मनोज RAS)
उपखण्ड अधिकारी
कुचामनसिटी (नागौर)

उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (नागौर)

उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (नागौर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Manoj
Date: 2023.11.03 13:03:28 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री मुकदमा इन्तेहाई
(ओ.20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत : उपखण्ड अधिकारी मुकाम : कुचामन सिटी

बइजलास : **मनोज (आर.ए.एस.)**

राजस्व वाद संख्या :– 80/2016 **RCMS 2016/00129**

वादी

1. भंवरलाल पुत्र गंगाराम जाति कुमावत उम्र 49 वर्ष निवासी आनन्दपुरा रोड़ कुचामनसिटी तहसील कुचामनसिटी जिला नागौर राजस्थान

बनाम

प्रतिवादीगण

1. श्योरती देवी पत्नि गंगाराम जाति कुमावत निवासी आनन्दपुरा रोड़, कुचामनसिटी
2. मदनी देवी पुत्री गंगाराम जाति कुमावत निवासी आनन्दपुरा रोड़, कुचामनसिटी
3. रूपाराम पुत्र बालूराम जाति कुम्हार निवासी आनन्दपुरा तहसील कुचामनसिटी
4. मोहनराम पुत्र बालूराम जाति कुम्हार निवासी आनन्दपुरा तहसील कुचामनसिटी
5. उप पंजियक कुचामनसिटी
6. राजस्थान सरकार जरिये प्रतिनिधि तहसीलदार कुचामनसिटी

दावा– खातेदारी अधिकारो की घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा बाबत अन्तर्गत धारा 88, 188 R . T. Act1955

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रू–बरू वकील श्री राजेश गुर्जर अधिवक्ता हाजिरी .... मिनजानिब मुदई रू–बरू श्री अशोकपुरी प्रतिवादी अधिवक्ता मिनजानिब मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है **वाद वादी डिक्री कर घोषणा की जाती है कि ग्राम कुचामनसिटी तहसील कुचामनसिटी जिला नागौर के खसरा नम्बर 1100 रकबा 1.61 हैक्टर में से 0.80 हैक्टर का वादी भवंरलाल पुत्र गंगाराम, प्रतिवादी श्योरतीदेवी पत्नि गंगाराम, प्रतिवादी मदनीदेवी पुत्री गंगाराम कुम्हार कुचामनसिटी को बहिस्सा बराबर खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है, उक्त रकबा 0.80 हैक्टर प्रतिवादी सं. 3 व 4 के हिस्से में से कम किया जावें। शेष खाता बदस्तूर रहेगा। उपरोक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किये जाने हेतु तहसीलदार कुचामनसिटी को तहरीर जारी हो। डिक्री पर्चा भरा जाकर शामिल मिसल किया जावें।**

निज .... मुबलिग .... बाबत...................खर्चा इस मुकदमे के मय सूद शरह.... फीसदी सालाना आज की तारिख से तारीख अदायगी तक .... का अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज दिनांक 31 माह 8 सन् 2023 को जारी की गई।

दस्तखत ...... उपखण्ड अधिकारी
ओहदा ...... कुचामन सिटी (नागौर) (मुहर)

मुदई	रूपयें	पैसे	मुदायलय	रूपयें	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालात नामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महन्ताना वकिल		
महन्ताना वकिल			खर्चा गवाहन		
खर्चा गवाहन			फिस कमिश्नर		
फिस कमिश्नर			बबत इजराय हुक्मनामा		
बबत इजराय हुक्मनामा			मुतफर्रिक		
मीजान			मीजान		

Signature Not Verified
Digitally signed by Manoj
Date: 2023.11.03 13:03:28 IST
Reason: SelfAttested

नोटः इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेत का चाहे डिग्री के जरिये दिखाया गया हो या नहीं, दर्ज करना चाहिए।